-: समझौता ज्ञापन :-

यह समझौता ज्ञापन आज दिनांक.......माह..........सन्........को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित (जिसे इस समझौता ज्ञापन में संघ के नाम से संबोधित किया गया है), जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत है एवं जो विलेख के प्रयोजन के लिए महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से कार्य कर रहे है (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे)

तथा

द्वितीय पक्ष छत्तीसगढ़ **<उद्योग का नाम>** (जिसे इस समझौता ज्ञापन में बोर्ड के नाम से संबोधित किया गया है), **<उद्योग का पता>**, जो विलेख के प्रयोजन के लिए **<उद्योग के प्रतिनिधि का पदनाम>** के माध्यम से कार्य कर रहे है (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे)

यह कि उद्योग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत लघु वनोपज एवं औषधीय पौधो आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य शासन से दिनांक......... को MoU किया गया है। उद्योग को संघ द्वारा इस समझौता ज्ञापन में निहित प्रावधानानुसार उद्योग की मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार मांग के 70% मात्रा तक के उत्पाद प्रदाय कराया जायेगा ।

यह कि औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत लघु वनोपज एवं औषधीय पौधो आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य शासन से किये गये MoU की कंडिका 4.1 के अनुसार संघ ऐसे उद्योगों को कच्चा माल समय-समय पर अतंर्विभागीय समिति द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

1. समझौता ज्ञापन की अवधि :

समझौता ज्ञापन की अवधि समझौता ज्ञापन निष्पादन दिनांक से 07 वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

2. परिभाषाएं :

दोनो पक्षो के लिए इस समझौता ज्ञापन में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये समझौता ज्ञापन के अभिन्न अंग होंगे।

i. **परिदान केन्द्र (Delivery Centre)** का तात्पर्य संघ के गोदामों से है, जहां से संघ द्वारा उद्योग को उत्पाद का परिदान दिया जायेगा ।

ii. **संघ** :- संघ से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, नवा रायपुर है ।

iii. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या समर्थन मूल्य** का अर्थ संग्राहकों/किसानों से लघु वनोपज, औषधीय पौधो एवं अन्य उत्पाद की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किया गया मूल्य होगा।

iv. **उत्पाद** का अर्थ राज्य में संघ द्वारा **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) या समर्थन मूल्य** पर क्रय किय जा रहे लघु वनोपज, औषधीय पौधो एवं अन्य उत्पाद से है ।

v. **निर्धारित दर** का अर्थ करारनामा की कंडिका 3 (iii) के अनुसार प्रतिवर्ष निर्धारित उत्पाद के दर से होगा । संघ द्वारा उद्योग को निर्धारित दर पर उत्पाद उपलब्ध कराया जायेगा ।

vi. **आवश्यक मात्रा या आदेशित मात्रा** का अर्थ उद्योग को उत्पाद की वार्षिक आवश्यकता से है, जिसकी सूचना संघ को उद्योग द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी ।

3. कार्य का दायरा :

i. संघ उद्योग को उसकी वार्षिक आवश्यकता की 70 प्रतिशत तक के उत्पाद की आपूर्ति उपलब्धता अनुसार सुनिश्चित करेगा । उद्योग द्वारा समय-समय पर किये गये मांग अनुसार उत्पाद की आपूर्ति संघ द्वारा किया जायेगा ।

ii. उद्योग संघ को लिखित रूप में वार्षिक (वित्तीय वर्ष) उत्पाद की आवश्यकता की मांग के साथ-साथ आवश्यक कच्चे माल की डिलीवरी की आवधिक अनुसूची के साथ सूचित करेगा, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रति वर्ष जनवरी माह में उद्योग द्वारा प्रदाय किया जायेगा ।

iii. उद्योग को संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले उत्पाद के विक्रय दर का निर्धारण प्रतिवर्ष वनोपज संग्रहण पर होने वाले व्यय के आधार पर किया जायेगा । दर का निर्धारण प्रतिवर्ष वनोपज राजकीय व्यापार के लिए गठित अंतर्विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा, जो वनोपज एवं औषधीय पौधों के संग्रहण पर होने वाले कुल व्यय से अधिक परन्तु 5% की सीमा तक हो सकेगा । उद्योग को उत्पाद की आपूर्ति बिना निविदा प्रक्रिया के सीधे निश्चित दर पर संघ द्वारा प्रदाय किया जाएगा ।

iv. उद्योग की आवश्यकता के अनुसार यदि कच्चा माल के रूप में उपयोग होने वाले उत्पाद का संग्रहण वर्तमान में संघ द्वारा नहीं किया जा रहा है, तथा ऐसे उत्पाद यदि राज्य में उपलब्ध है अथवा निजी कृषकों द्वारा इन उत्पादों की खेती की जा रही है, तो ऐसे उत्पादों के लिए भी न्यूनतम संग्रहण मूल्य का निर्धारण करते हुए विक्रय दर का निर्धारण कंडिका 3(iii) अनुसार किया जाकर उद्योग की आवश्यकता के अनुसार क्रय करते हुए संघ उद्योग को प्रदाय करेगा ।

v. यदि किसी उत्पाद का बाजार मूल्य संग्रहण सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो जाता है तथा उद्योग द्वारा अधिक मूल्य पर वनोपज एवं औषधीय पौधा क्रय किये जाने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो वनोपज एवं औषधीय पौधो का क्रय बाजार दर पर किया जाकर उसकी आपूर्ति संबंधित उद्योग को लागत मूल्य पर किया जायेगा । इस संबंध में संबंधित उद्योग द्वारा वनोपज एवं औषधीय पौधो हेतु अग्रिम में राशि जमा किए जाने पर ही उस मात्रा की सीमा तक प्रीमियम दर (बाजार दर) पर वनोपज एवं औषधीय पौधों का क्रय किया जा सकेगा ।

4. भुगतान शर्तें :

i. उद्योग द्वारा अग्रिम भुगतान किये जाने उपरांत ही परिदान (Delivery) संघ द्वारा परिदान केन्द्र (Delivery Centre) पर दी जायेगी । उद्योग द्वारा दिये गये आवधिक अनुसूची (Periodic supply schedule) के अनुसार संघ एवं उद्योग के मध्य वार्षिक करारनामा निष्पादित किया जावेगा एवं आवधिक अनुसूची (Periodic supply schedule) करारनामा का भाग होगा । करारनामा इस समझौता ज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा ।

ii. उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने वाले उत्पाद के लिए दिये गये लिखित मांग का परिदान (Delivery) उद्योग द्वारा करारनामा निष्पादन दिनांक के 08 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाना अनिवार्य होगा ।

iii. उद्योग के लिखित मांग पर संघ द्वारा सहमति पत्र दिये जाने के 15 दिवस के भीतर संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले उत्पाद की वार्षिक मात्रा का निर्धारित दर अनुसार क्रय मूल्य के 10% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उद्योग द्वारा संघ में जमा करना आवश्यक होगा ।

iv. उद्योग को उत्पाद का परिदान किश्तों में लेने की सुविधा संघ द्वारा दी जायेगी। उद्योग द्वारा दिये गये आवधिक अनुसूची के अनुसार जिन किश्तों में परिदान लिया जाना है, का उल्लेख कर मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा तथा उसी अवधि के अनुसार तथा मांग की मात्रा के अनुसार निधारित दर पर किश्तें निर्धारित होंगी। परिदान की अवधि करारनामा निष्पादन दिनांक से 08 माह के भीतर की होगी ।

v. **करों का भुगतान** -

(अ) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(ब) क्रेता वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर के अनुसार भुगतान करेगा।

vi. प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा 10% राशि का समायोजन अंतिम किश्त के अग्रिम भुगतान पर किया जायेगा ।

5. उत्पाद का परिदान (Delivery) :-

i. उद्योग द्वारा प्रत्येक किश्त के अग्रिम भुगतान करने के पश्चात् ही उत्पाद का परिदान (Delivery) संघ द्वारा उद्योग को दिया जायेगा । जिस मात्रा के उत्पादों का अग्रिम भुगतान उद्योग द्वारा किया जायेगा उस मात्रा का परिदान संघ द्वारा परिदान केन्द्रों में दिया जायेगा ।

ii. उद्योग उत्पाद की खरीदी एवं प्रबंधन के लिए संघ द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार उत्पाद का परिदान (Delivery) लेगा। संघ द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का

उद्योग द्वारा सहमति वर्ष के प्रारंभ में दिया जाना आवश्यक होगा। उत्पाद का परिदान संघ द्वारा परिदान केन्द्रों (Delivery Center) से दी जायेगी और परिदान केन्द्रों (Delivery Center) से उद्योग के गोदाम / औद्योगिक इकाई के स्थान तक उत्पाद के परिवहन इत्यादि में होने वाले खर्च का वहन उद्योग द्वारा ही किया जाएगा।

iii. उत्पाद के किसी विशिष्ट बैच के गुणवत्ता सत्यापन के संबंध में उद्योग से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, संघ केवल उस विशेष मात्रा के लिए या नमूना के आधार पर NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषण का प्रमाण पत्र (Certificate of analysis) प्रदान करेगा ।

उद्योग को संघ द्वारा NABL प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाने के बाद वनोपज की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. जुर्माना :

i. यदि उद्योग द्वारा क्रय आदेश जारी होने के 08 माह के भीतर परिदान पूर्ण नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उद्योग द्वारा परिदान लेने की अवधि में वृद्धि करने हेतु आवेदन दिया जायेगा ।

ii. उद्योग द्वारा दिये गये आवेदन उपरांत संघ परिदान अवधि में अधिकतम 04 माह की वृद्धि करेगा ।

परन्तु, यदि उद्योग द्वारा करारनामा निष्पादन दिनांक से 08 माह के भीतर क्रय मूल्य के 25% तक का उत्पाद का अग्रिम भुगतान कर परिदान नहीं लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में परिदान अवधि में वृद्धि नहीं किया जायेगा एवं विक्रय आदेश निरस्त कर 10% प्रतिभूति निक्षेप की राशि को राजसात कर लिया जायेगा ।

iii. **(अ) किश्त का अग्रिम भुगतान कर परिदान नहीं लेने की स्थिति में** - करारनामा निष्पादन दिनांक से 08 माह भीतर उद्योग द्वारा परिदान नहीं लिये गये उत्पाद पर सूखत एवं गोदाम किराया संघ द्वारा लिया जायेगा ।

(ब) निर्धारित किश्त का भुगतान न कर परिदान नहीं लेने की स्थिति में - करारनामा निष्पादन दिनांक से 08 माह भीतर उद्योग द्वारा परिदान नहीं लिये गये उत्पाद पर 1% प्रति माह विलम्ब शुल्क, सूखत एवं गोदाम किराया संघ द्वारा लिया जायेगा ।

iv. करारनामा निष्पादन दिनांक से 12 माह के भीतर यदि संपूर्ण विक्रित मात्रा का परिदान उद्योग द्वारा नहीं लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संघ द्वारा विक्रय आदेश निरस्त कर दिया जावेगा एवं 10% प्रतिभूति निक्षेप की राशि को राजसात कर लिया जावेगा ।

7. संपर्क के बिंदु :-

दोनों पक्षों के संपर्क अधिकारी पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे और सभी अभिलेखों को अद्यतन रखेगें । नीचे दिये गये दोनों पक्षों के बीच किसी भी संचार के लिए संपर्क अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है :

प्रति, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ लिमिटेड, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) फोन नंबर : 0771-2513100 से 2513110 ई-मेल आईडी : mfpfed.cg@nic.in
उद्योग का संपर्क विवरण : नाम, पदनाम : उद्योग का नाम : उद्योग का पता : फोन नंबर : ई-मेल आईडी :

8. समझौता ज्ञापन में संशोधन :

समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि लिखित रूप में दोनों पक्षकारों द्वारा सहमति दी गई हो ।

9. विवाद समाधान तंत्र

यदि इस समझौता ज्ञापन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का निर्णय बाध्यकारी होगा ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में महाप्रबंधक छ.ग. राज्य लघु वनोपज द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज के नाम से तथा उनकी ओर से महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर (छ.ग.)	उद्योग का नाम -
नाम : पदनाम : महाप्रबंधक	नाम : पदनाम :
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :

साक्षीगण :

1) नाम :	2) नाम :
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :